कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल *almoraforestdivision@rediffmail.com*

पत्रांक / अल्मोड़ा दिनांक .2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD /53059/2020)।

संदर्भ – भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 8बी/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0/538 दिनांक 20.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 2 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point 2 of this office EDS, though the revised enumeration of 23 trees has been found submitted as an additional document in online Part I but the details are not found corrected at para 4 in online Part II. The State Government is requested to correct the enumeration in online Para-4, Part II.	आपत्ति का निराकरण प्रभाग स्तर से ऑनलाईन पार्ट।। में कर दिया गया है।
2	It is seen that village 'Suniyakot' and 'Kotuli' could individually be connected directly with the starting point. Hence it is not clarified as to why the road is proposed from village 'Kotuli to Suniyakot.' State Government is requested to submit the detailed comments in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति पत्र के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि सुनियाकोट एवं कोटली के ग्रामवासियों को मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह स्वीकृति जारी की गयी है। जिसके अनुपालन में न्यूनतम वन भूमि एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन को देखते हुए स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं तकनीकी दृष्टिकोण के अनुरूप यह संरेखण निर्धारित किया गया है जिसमें 2.628 है0 वन भूमि में चीड़ प्रजाति के 19 वृक्ष एवं नाप भूमि में 4 वृक्ष इस प्रकार कुल 23 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। ग्राम सुनियाकोट एवं कोटली को पृथक पृथक मोटर मार्ग से संयोजित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार 4–4 प्रतियों में।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 2343 /7सी0 दिनांक 26 सितम्बर 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं0 53059/2020)।

संदर्भः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08 बी0/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0/538 दिनॉक 20.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	1) In reply to point 2 of this office EDS, though the revised enumeration of 23 trees has been found submitted as an additional document in online Part I but the details are not found corrected at para 4 in online Part II. The State Government is requested to correct the enumeration in online Para-4, Part II.	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से संबंधित नहीं है।
2	It is seen that village 'Suniyakot' and 'Kotuli' could individually be connected directly with the starting point. Hence it is not clarified as to why the road is proposed from village 'Kotuli to 'Suniyakot. State Government is requested to submit the detailed comments in this regard.	आपत्ति पत्र के बिन्दु सं0 2 के क्रम में अवगत कराना है कि सुनियाकोट एवं कोटली के ग्रामवासियों को मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह स्वीकृति जारी की गयी है। जिसके अनुपालन में न्यूनतम वन भूमि एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन को देखते हुये स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं तकनीकी दृष्टिकोण के अनुरूप यह संरेखण निर्धारित किया गया है जिसमें 2.628 है0 वन भूमि में चीड़ प्रजाति के 19 वृक्ष एवं नाप भूमि में 4 वृक्ष इस प्रकार कुल 23 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। ग्राम सुनियाकोट एवं कोटली को पृथक पृथक मोटर मार्ग से संयोजित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा जिससे ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों में आक्रोश उत्पन्न होगा।

अतः अनुरोध है कि मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण को स्वीकृत करने हेतु अपने स्तर प्रबल संस्तुति सहित प्रकरण को अग्रसारित करने की कृपा करें।

3658
K-10(2)
भूमि हस्ता 29-9-2023

भवदीय
28/9/23
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।

पत्रांक /7सी0 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।

सेवा में,

श्रीमान व० क्षे० अ० महोदय
अल्मोड़ा वन क्षेत्र

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकड़ीघाट मो० मा० से सुनियाकोट कोटुली तक 7.00 मी० चौड़ाई में 5.00 किमी में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम पर निवेदन है कि बीट प्रभारी श्री रणजीत सिंह नेगी, दक्षिणी स्याही देवी बीट, प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० अल्मोड़ा से श्री प्रदीप जोशी, जेई, श्री श्याम दत्त जोशी, अमीन एवं राजस्व विभाग से श्री कुन्दन सिंह कनवाल, रा० उ० नि०, राजस्व क्षेत्र काकड़ीघाट के एक साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में द्वारसों-काकड़ीघाट मो० मा० से सुनियाकोट कोटुली 5.000 किमी के 7.00 मी० चौड़ाई में निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनकी प्रजाति वार, व्यासवार गणना सूची निम्नवत् है।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	अनुभाग का नाम	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वृक्षों का व्यास			योग
					20-30	30-40	40-50	
1	अल्मोड़ा वन क्षेत्र	शीतलाखेत अनुभाग	कोटुली सिविल	चीड़	5,13,16,17,18,21,22,23	1,2,3,4,10,11,12,14,15,19,20	–	
				योग	8	11	–	19
			सुनियाकोट नाप भूमि	चीड़	–	6,7	8,9	
					–	2	2	4
				महायोग	8	13	2	23

अतः महोदय की सेवा में 23 (तेईस) चीड़ वृक्षों की गणना सूची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
कुन्दन सिंह कनवाल
उप राजस्व निरीक्षक
काकड़ीघाट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र बाड़ेछीना
तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

(हस्ताक्षर)
श्याम दत्त जोशी
सर्वेयर/अमीन
प्रा० ख० लो०
नि० वि०
(अल्मोड़ा)

(हस्ताक्षर)
प्रदीप जोशी
जेई/अपर सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो०
नि० वि०

(हस्ताक्षर)
रणजीत सिंह नेगी
(रणजीत सिंह नेगी)
बीट प्रभारी
दक्षिणी स्याही देवी बीट

(हस्ताक्षर)
(हेम चन्द्र)
उप वनक्षेत्राधिकारी
शीतलाखेत अनु०

(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र

प्राप्त
30-1-2023
(हस्ताक्षर)